



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक- 06.09.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 04 अवैध गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 148.44 ग्राम अवैध गांजा, 3000 रू0 नगद व एक इलैक्ट्रॉनिक काटा तथा तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी अल्टो नं0 DL-8CU-0586 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 148.44 ग्राम अवैध गांजा, 3000 रू0 नगद व एक इलैक्ट्रॉनिक काटा तथा तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी अल्टो नं0 DL-8CU-0586 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-नीरज पुत्र कालू निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-अमन पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-आमिर पुत्र डबलू निवासी ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-नदीम पुत्र तौसिफ निवासी ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 148.44 ग्राम गांजा ।
- 3000 रू0 नगद ।
- एक इलैक्ट्रॉनिक काटा ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी अल्टो नं0 DL-8CU-0586

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री आदित्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 96 संजय पूनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 287 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी पप्पू को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 07 वर्ष के कारावास व 3,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में अभियुक्त पप्पू पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 453/2000 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.09.2024 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त पप्पू को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कारावास व 3,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 06.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धीरज पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत ।
- 2-है0का0 111 मुन्नालाल थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 06.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-रमेश पुत्र रविदास निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-राजीव पुत्र जगबीर निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-अमीर अहमद उर्फ तुल्ला पुत्र खुर्शीद पठान निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0यूटी श्री आलोक कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 06.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

गुल्लु पुत्र मिद्धा निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 1016 रोहित राठौर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।